

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: प.8(युवा)/अकाद/आकाशि/2018/ १४३

दिनांक २१ अक्टूबर, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- To Enforce provisions of Cigarettes and other tobacco products [COTPA, 2003] and guidelines for Tobacco free educational Institutions [ToFEI].

संदर्भ:- शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग का पत्रांक प. 10(4)शिक्षा/ग्रुप-3/2021 दिनांक 01.10.2021.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि युवाओं में तम्बाकू का उपयोग एक गंभीर समस्या है। इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा National Tobacco Control Programme के अन्तर्गत तम्बाकू निषेध के सम्बन्ध में विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार द्वारा बच्चों एवं युवाओं में तम्बाकू के उपयोग की रोकथाम के लिए [COTPA, 2003] एवं [ToFEI] की guidelines को राज्यों में लागू किया जाना है।

सभी राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों को Tobacco Free Campus बनाने हेतु guidelines for Tobacco free educational Institutions [ToFEI] 2019 को लागू करने हेतु निर्देशित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए गाईडलाइन्स को <http://ntcp.nhp.gov.in/assets/document/TEFI-Guidelines.pdf> से download भी किया जा सकता है।

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक, अकादमिक

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक, अकादमिक